भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5435

25 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

खाद्यान्नों का वार्षिक नुकसान

5435. श्री थरानिवेंथन एम.एस.:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भंडारण संबंधी दिक्कतों, अनुचित संभलाई अथवा जलवायु कारकों के कारण खाद्यान्नों की वार्षिक अनुमानित हानि कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा भंडारण अवसंरचना को जलवायु-अनुकूल, आपदा-प्रतिरोधी और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार संभारतंत्रीय विलंब को कम करने के लिए विशेष रूप से तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में उपभोग केन्द्रों के निकट सुरक्षित भंडागार स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों और आपातकालीन बफर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुरक्षित, आधुनिक और पर्याप्त भंडारण क्षमता सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): भंडारण अवसंरचना, अनुचित प्रबंधन या जलवायु कारक के कारण केंद्रीय पूल के खाद्यान्नों के स्टॉक (गेहूं और चावल) की सीधे तौर पर कोई हानि नहीं हुई। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और रख-रखाव करता है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित किया जाता है। चक्रवात, बाढ़, वर्षा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाद्यान्नों की बहुत नगण्य मात्रा ही गैर-जारी करने योग्य/क्षतिग्रस्त होती है। वर्ष 2025-26 के दौरान (दिनांक 01.03.2026 तक) एफसीआई के गोदामों में 0.022 लाख टन खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुए, जो कुल रख-रखाव किए गए खाद्यान्न की मात्रा का 0.005% है।

(ख): सरकार भंडारण अवसंरचना को जलवायु-प्रतिरोधी, आपदा-प्रतिरोधी और वैज्ञानिक मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है:

(i) **पीपीपी मोड के तहत साइलो का निर्माण:** थोक प्रबंधन सुविधा युक्त स्टील साइलो में खाद्यान्न का भंडारण करना एक अत्याधुनिक और मशीनीकृत तरीका है। इससे खाद्यान्न का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होता है और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यदि साइलो में खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है और थोक में परिवहन करने से चोरी, हेराफेरी और परिवहन के कारण होने वाले नुकसान, पारंपरिक गोदामों में बोरियों में खाद्यान्न के भंडारण की तुलना में नगण्य होते हैं। स्टील साइलो का निर्माण सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड के तहत किया जाता है।

...2/-

(ii) **स्मार्ट भांडागार प्रायोगिक परियोजना:** खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) एफसीआई के स्वामित्व वाले 150 गोदामों और सीडब्ल्यूसी के सभी खाद्यान्न गोदामों में स्मार्ट भांडागार परियोजना लागू कर रहा है। स्मार्ट भांडागार विभिन्न आईओटी संवेदकों से सुसज्जित हैं, जैसे धूम्र, अग्नि, द्वार, CO_2, फॉस्फीन स्तर, आर्द्रता, कृंतक नियंत्रण।

स्मार्ट भांडागार सभी डिपो में वास्तविक समय की दृश्यता, समय पर हस्तक्षेप, डेटा-संचालित निर्णय लेने और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करता है, जो सुरक्षित, संरक्षित और कुशल खाद्यान्न भंडारण और वितरण सुनिश्चित करने में योगदान देता है।

(iii) एफसीआई में भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के चरण में **डिपो दर्पण पोर्टल** भी शुरू किया गया है। यह पोर्टल एफसीआई और सीडब्ल्यूसी डिपो (स्वामित्व वाले और किराए पर लिए गए) के स्व-मूल्यांकन, रेटिंग और ग्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है।

(ग): तमिलनाडु राज्य में, चेन्नई और कोयंबटूर, प्रत्येक में 25000 टन क्षमता वाले साइलो का निर्माण सर्किट पद्धति के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से बिल्ड-ओन-ऑपरेट (डीबीएफओओ) आधार पर किया गया है।

(घ): सरकार भंडारण क्षमता का निरंतर आकलन और निगरानी करती है और भंडारण अंतर आकलन के आधार पर भंडारण क्षमताएं निर्मित/किराए पर ली जाती हैं। भंडारण क्षमता की आवश्यकता खरीद के स्तर, बफर मानदंडों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संचालन पर निर्भर करती है। सरकार निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से अपनी भंडारण क्षमता बढ़ा रही है:

क. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
ख. निजी भांडागरण योजना (पीडब्ल्यूएस)
ग. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण
घ. सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/राज्य एजेंसियों से गोदामों को किराये पर लेना
ङ. केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस)
च. पीपीपी मोड के तहत साइलो का निर्माण।
